

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 124 / 2017

दर्ज दिनांक:—06.11.2017

1. कल्पनासिंह वगै० पता—प्रार्थी
बनाम
2. मुकेश पता—अप्रार्थीगण

उपस्थित:
तालेराम

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—11.10.2019

वकील वादीगण उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया बार-बार अवसर देने के बाद भी तलवी प्रतिवादीगण की नहीं कराई है। तलवी हेतु अन्तिम भी दिये जा चुके हैं। दिनांक 02.08.2019 को तलवी के अभाव में दावा अपालना में खारिज करने की चेतावनी भी दी जा चुकी है। प्रतीत होता है कि वादी अपने दावा के प्रति सजग नहीं हैं। अतः दावा वादीगण ओ९ नियम 5 सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

सत्यमेव जयते

संजय गोयल, आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

Web Copy - Not Official